



**प्रेस नोट**

**जनपद सीतापुर**

**08 वारण्टी गिरफ्तार**

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 12/13.02.2021 को थाना बिसवां, रामकोट, हरगांव, लहरपुर पुलिस ने कुल 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारण्टीगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**थाना बिसवां द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 377/19 व 374/19 धारा 138 EC ACT से सम्बन्धित वारंटीगण क्रमशः 1.दिलदार पुत्र सैफुल्ला 2.मो0 उमर पुत्र तौकीर निवासीगण न्यामतपुर थाना बिसवां सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।



:

**थाना रामकोट द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/10 व 628/06 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारंटीगण 1.संजय मौर्या पुत्र मोहनलाल मौर्या निवासी बन्दीपुर 2. कौशल पुत्र जय सिंह निवासी खगेशिया मऊ थाना रामकोट सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।



**थाना हरगांव द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2007/245 धारा भादवि 376 से सम्बन्धित वारण्टी मकरन्द पुत्र अनन्तू पासी निवासी रौना व मु0अ0सं0 06/214 धारा 411/427/379 भादवि से सम्बन्धित वारंटी हरीश पुत्र रामचन्द्र निवासी बहेरवा थाना हरगांव सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।



**थाना लहरपुर द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार-** थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 895/91 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी इसराइल पुत्र जलालुद्दीन निवासी सुल्तानपुर व मु0अ0सं0 168/94 धारा 392/411/447/468/471/420 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी कन्धई पुत्र बाबू पासी निवासी पतवारा थाना लहरपुर सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

